UDAIPUR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

(Apex body of Trade, Industry, Mining, Education & Tourism of Southern Rajasthan)

UCCI e-News Letter

08.11.2017

प्रिन्टिंग इण्डस्ट्री हेतु जीएसटी शिविर का आयोजन – दिनांक 8 नवम्बर 2017

''प्रिन्टिंग इण्डस्ट्री से जुड़े उद्यमी को यह स्पष्ट नहीं है कि जीएसटी कर प्रणाली के तहत प्रिन्टिंग का कार्य ''गुड्स'' की श्रेणी में आयेगा अथवा ''सर्विस'' की श्रेणी में। सरकार द्वारा हाल ही में जारी परिपत्र के कारण प्रिन्टिंग व्यवसायी असमन्जस की स्थिति में है।''

उपरोक्त जानकारी श्री हंसराज चौधरी ने यूसीसीआई में जीएसटी शिविर के स्वागत उदबोधन में दी।

उदयपुर चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री द्वारा यूसीसीआई भवन के सभागार में प्रिन्टिंग इण्डस्ट्री की जीएसटी से सम्बन्धित समस्याओं के निराकरण हेतु एक शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जीएसटी विभाग के श्री यतिश मनी एवं श्री अनिल लाहौटी द्वारा उद्यमियों की समस्याओं के सम्बन्ध में चर्चा कर मार्ग दर्शन दिया गया।

शिविर के आरंभ में अध्यक्ष श्री हंसराज चौधरी ने मेवाड़ प्रिन्टिंग एण्ड पेपर एसोसिएशन के सदस्य प्रिन्टिंग इण्डस्ट्री से जुड़े उद्यमियों का यूसीसीआई में स्वागत करते हुए कहा कि सरकार द्वारा हाल ही में जारी किये गये दो सरक्यूलर के कारण कई विसंगतियां उत्पन्न हो गई है। सरकार द्वारा जीएसटी लागू करते समय यह कहा गया था कि यह एक सरल कर प्रणाली है तथा कोई भी पढ़ा लिखा आदमी स्वयं अपनी टैक्स रिटर्न फाईल कर सकेगा। किन्तु आज प्रत्येक उद्यमी के लिये एक जीएसटी अकाउन्टेन्ट को नौकरी पर रखना जरूरी हो गया है तथा जीएसटी सम्बन्धी नियमों को समझने के लिये कर सलाहकार की सेवाएं लेनी पड़ रही है।

मेवाड़ प्रिन्टर्स एण्ड पेपर एसोसिएशन के सचिव श्री विजय अरोड़ा ने सरकार द्वारा जारी किये गये जीएसटी सम्बन्धी परिपत्र के आधार पर प्रिन्टिंग एवं स्टेशनरी के व्यापारी, जॉब वर्क करने वाले प्रिन्टर तथा सम्पूर्ण प्रिन्टिंग का कार्य करने वाले प्रिन्टिंग व्यवसायी पर जीएसटी की अलग अलग दर से सम्बन्धित समस्या जीएसटी विभाग के अधिकारियों के समक्ष रखी।

केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर विभाग के सहायक आयुक्त श्री यतीश मनी ने जानकारी देते हुए बताया कि ट्रेडिंग का कार्य करने वाला व्यापारी जो बाजार में प्रिन्टिंग एवं स्टेशनरी का सामान अर्थात प्रिन्टेड मेटेरियल बेचता है वह गुड्स की श्रेणी में आता है।

ग्राहक द्वारा प्रदत करवाई गई (कन्टेन्ट) सामग्री को छाप कर देना सर्विस की श्रेणी आयेगा।

श्री यतीश मनी ने विस्तार से बताया कि जीएसटी से मुक्त छपाई की वस्तु पर इनपुट टेक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा तथा टैक्सेबल उत्पाद पर ही आईटीसी लिया जा सकेगा। आईटीसी की व्याख्या करते हुए श्री मनी ने बताया कि उपभोक्ता को टैक्स पर टैक्स नहीं देना पड़े, इस कारण आईटीसी प्रदान किया जाता है।

खुली परिचर्चा के दौरान उद्यमियों द्वारा प्रिन्टेड बुक्स की परिभाषा, डिजाईन किये हुए शादी के कार्ड खरीद कर छाप कर देने की स्थिति में जीएसटी की दर, लिफाफा एवं कार्ड दोनो साथ में छापने एवं अलग अलग छाप कर देने की स्थिति में जीएसटी की दर, बच्चो की किताबों पर जीएसटी, ब्रॉशर – पेम्पलेट – साईन बोर्ड आदि पर जीएसटी की दर से सम्बन्धित कई प्रश्न श्री यतीश मनी से पुछे गये जिनका समाधान श्री मनी द्वारा प्रस्तुत किया गया।

कार्यक्रम में उपाध्यक्ष श्री रमेश सिंघवी ने भी विचार रखे।

कार्यक्रम के अन्त में श्री विजय अरोड़ा ने सभी का आभार ज्ञापित किया।